**100.** जिला न्यायाधीश किसी उम्मीदवार को किसी भ्रष्टाचार गतिविधियों में दोषी पाए तो ग्राम साधारण निकाय की सदस्यता अथवा इस विनियम के तहत चुनाव लड़ने अथवा किसी कार्यालय या सरकारी स्थान अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी में नियुक्ति या बने रहने अथवा किसी ग्राम साधारण निकाय के सदस्य के रूप में पंजीकृत होने पर अयोग्य घोषित कर सकता है जिसकी अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी जैसा भी हो जिला न्यायाधीश निर्धारित कर सकता है ।

भ्रष्टाचार अथवा गैर–कानूनी गतिविधियों के कारण अयोग्य ।

**101.** (1) इस विनियम में शामिल किसी प्रावधान के होते हुए भी चुनाव क्षेत्र के परिसीमन से संबंधित किसी विधि की वैधता अथवा उस चुनाव क्षेत्र के सीट आबंटन अथवा इस विनियम के अधीन का होना तात्पर्यित को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कहा जाएगा ।

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

(2) धारा 96,97,98,99 और 100 में उपलब्ध अन्यथा उपबंधित के सिवाय सिविल न्यायालय को इस विनियम के तहत निर्वाचन के आयोजन के संबंध में चुनाव आयुक्त या सचिव, जनजातीय कल्याण या उपायुक्त द्वारा की गई कार्रवाई अथवा दिए गए निर्णय की वैधता को प्रश्नगत करने का अधिकार नहीं होगा ।

**102.** उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद के मामले में किसी ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद द्वारा किसी दखल अचल सम्पत्ति की निरीक्षण करने तथा ऐसे ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद जिनके निर्देशन में कार्य प्रगति पर है, जैसा भी मामला हो, वहाँ जा कर जाँच करने के लिए अपने किसी अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकता है ।

प्रवेश करने का अधिकार

**103.** (1) इस विनियम या उसके अंतर्गत निर्मित नियम या उप–नियम के तहत सद्भावनापूर्वक किए गए किसी भी कार्य के संबंध में ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के अधीन कार्य कर रहे किसी भी सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी अथवा एजेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।

परिषद आदि के खिलाफ कार्रवाई का वर्जन तथा संस्थित करने से पूर्व नोटिस देना ।

(2) इस विनियम तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियम तथा उप–नियम के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा किया गया कार्य तात्पर्यिक है, किसी भी ग्राम परिषद या द्वीप परिषद या फर्स्ट कैप्टेन या सेकेन्ड कैप्टेन या चीफ कैप्टेन या वाइस चीफ कैप्टेन या उनके कोई सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंटों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कि ऐसे ग्राम परिषद या द्वीप परिषद तथा उनके उन सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों अथवा एजेंटों जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, के घरों में लिखित नोटिस देने अथवा सुपुर्द करने के दो माह की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, और उस नोटिस में कार्रवाई का कारण, मांगी गई राहत की प्रकृति, दवा की क्षतिपूर्ति की राशि, यदि कोई हो, तथा उस व्यक्ति का नाम तथा निवास स्थान जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है, भी बतानी होगी ।

(3) प्रत्येक ऐसे कार्रवाई को वाद हेतुक की प्रोद्भवन के पश्चात् छह माह के भीतर आरंभ करनी होगी और उसके पश्चात नहीं ।

**104.** ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के प्रत्येक सदस्य तथा ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के अधीन कार्यरत प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत जन सेवक समझा जाएगा ।

परिषदों के सदस्य आदि जन सेवक होंगे ।

**105.** इस विनियम के तहत किसी ग्राम परिषद अथवा द्वीप परिषद के सदस्य या किसी बिक्री के संबंध में ड्यूटी कर रहे उनके कोई अधिकारी ऐसे बिक्री में बिक रहे किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बोली नहीं लगा सकते ।

सदस्य आदि को बिक्री में भाग लेने से विरत रहना होगा ।

**106.** प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस विनियम अथवा के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल इसकी सूचना ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद को देंगे और वे ग्राम परिषद तथा द्वीप परिषद के सभी सदस्यों एवं कर्मचारियों को अपने विधिपूर्ण प्राधिकार का प्रयोग करने में सहायता करेंगे ।

अपराधों के संबंध में पुलिस के कर्त्तव्य तथा अधिकार और परिषद की सहायता ।